

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
सं. २०१२/०२(१२०)/XXVII(8)/०७
देहरादून: दिनांक: ३० मई, २०१२

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का सम्बोधन हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4), सपष्टित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं १, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-II(ख) एवं अनुसूची-III में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

संशोधन

(क) अनुसूची-II(ख) के क्रमांक १३६ की वर्तमान प्रविष्टि हटा दी जायेगी।

(ख) अनुसूची-III के क्रमांक ९ की वर्तमान प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ दी जायेगी; अर्थात्—

10.	तुक्का तम्बाकू को छोड़कर अनिर्मित (अनमेन्यूफैक्चर्ड) आ० या नि० ४ प्रतिशत तम्बाकू बीड़ी और बीड़ी के उत्पाद में प्रयुक्त तम्बाकू	आ० या नि०	४ प्रतिशत
11.	सिगरेट, सिगार और तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटका)	आ० या नि०	२० प्रतिशत

(राधा रत्नाली)
सचिव।

सं. ५८३/२०१२/०२(१२०)/XXVII(8)/०७ तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१—आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिकारियों व करदाताओं को अवगत करा दें।

२—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियों इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100—100 प्रतियों वित्त अनुभाग-८ में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

३—भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

४—सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

५—एन०आई०सी०

६—गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

२०५८३/८०७

(प्रदीप सिंह सचिव)
उपसचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 483 / 2012/ 02(120)/ XXVII(8)/ 07 dated 30 May, 2012 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 483 / 2012 / 02(120) / XXVII(8) / 07
Dehradun :: Dated : 30 May, 2012

Notification

WHEREAS the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendments in Schedule-II(B) and Schedule-III of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005:-

Amendment

(a) In Schedule-II(B), the existing entry at serial no. 136 shall be deleted.

(b) After the existing entry at serial no. 9, the following entries shall be added; namely-

10.	Unmanufactured Tobacco excluding Hukka Tobacco, Bidis and Tobacco used in the manufacture of Bidis.	M or I	8%
11.	Cigarette, Cigar and Pan Masala containing Tobacco (Gutka)	M or I	20%


(Radha Raturi)

Secretary.